शाहजहाँपुर पुलिस

प्रेस नोट-सराहनीय कार्य दिनांक : 29.03.2024

पुवायाँ पुलिस द्वारा मुखविर की सूचना पर युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण करने व परिजनो द्वारा दहेज मांगने, नही देने पर शादी से पलट जाने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तारः-

श्री अशोक कुमार मीणा पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार , श्री मनोज कुमार अवस्थी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन में व श्री पंकज पंत क्षेत्राधिकारी पुवायाँ के कुशल पर्यवेक्षण मे चलाये जा रहे रोकथाम अपराध व गिरफ्तारी अपराधी के सघन अभियान के क्रम मे थाना पुंवायाँ पुलिस टीम को चैकिंग के दौरान युवती को शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण करने व परिजनो द्वारा दहेज मांगने, नही देने पर शादी से पलट जाने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनाँक 15.03.2024 को वादिनी/पीड़िता द्वारा स्वंय प्रार्थना पत्र देकर मु0अ0सं0 192/24 धारा 376(2)(N)/504/506 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अभियुक्तगण सोनू पुत्र रामनरेश नि0ग्राम लिलहर,थाना करेली,जिला पीलीभीत द्वारा वादिनी के साथ शादी का झांसा देकर यौन शोषण करते रहना तथा सोनू व रामनरेश पुत्र सुन्दरलाल,श्रीमती कृष्ण देवी पत्नी रामनरेश,रामवती पत्नी सुन्दरलाल नि0ग्राम लिलहर,थाना करेली जनपद पीलीभीत व सुरेन्द्र पुत्र महेश नि0ग्राम गगुआपुर,थाना बिसण्डा,जिला पीलीभीत द्वारा शादी से मना करना तथा कहना की दहेज में 8 लाख रू0 दो नहीं तो शादी नहीं करूगा तथा धमकी दी कि अगर तूने शादी के लिए कभी भी मेरे पास फोन किया तो तुझे घर में आकर जान से मार देगे तथा गाली गलौच देने के सम्बन्ध मे पंजीकृत कराया था उक्त घटना को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा गम्भीरता से लेते हुए प्रभारी निरीक्षक पुवायाँ श्री प्रदीप कुमार राय को तत्काल अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के निर्देश दिये गये जिस पर प्रभारी निरीक्षक के निर्देशन मे अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गयी तथा वादिनी/पीड़िता का मेडिकल परीक्षण व बयान अन्तर्गत धारा 161/164 द0प्र0स0 आदि साक्ष्य संकलित किये गये।

आज दिनांक 29.03.2024 को थाना पुवायाँ पुलिस टीम को जरिये मुखविर खास सूचना मिली कि आपके मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त सोनू, संजय नगर मार्केट नाहिल तिराहे के पास कही जाने की फिराक मे खडा है अगर जल्दी की जाये तो पकडा जा सकता है । मुखबिर की सूचना पर हम पुलिस वालो ने भागने का मौका दिया बिना संजय नगर मार्केट नाहिल तिराहे पर एक व्यक्ति को पकड लिया पकडे गये व्यक्ति से नाम पता पूछा गया तो इसने अपना नाम सोनू पुत्र रामनरेश निवासी ग्राम लिलहर थाना करेली जनपद पीलीभीत उम्र करीब 19 वर्ष बताया । यही मुकदमा हाजा का वाछिंत अभियुक्त है अतः इसको कारण गिरफ्तारी बताकर संजय नगर मार्केट नाहिल तिराहे से समय करीब 12.10 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया। जिसको बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तः-

1. सोनू पुत्र रामनरेश निवासी ग्राम लिलहर,थाना करेली जनपद पीलीभीत

पंजीकृत अभियोगः –

1. मु0अ0सं0 192/24 धारा 376(2)(N)/504/506 भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध थाना पुवायाँ शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी टीम का विवरणः-

1. प्रभारी निरीक्षक प्रदीप कुमार राय थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर
2. का0 754 इलियास अहमद थाना पुवायाँ जनपद शाहजहाँपुर